

दो पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने पर विवाद हिंसक हुआ, पांच गिरफ्तार

बाइक को आग लगाई, प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है

चाकसू, (निर्स)। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के चंदलाई गांव में गुरुवार सुबह दो पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने पर विवाद हिंसक हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आग लगने के कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

जांच अधिकारी लेखराज मीणा ने बताया कि चंदलाई बस स्टैंड के पास शिव मंदिर के सामने दो पक्षों के बीच मारपीट की खबर मिली थी और एक बाइक को जला दिया गया था। थानाधिकारी सुरेंद्र सैनी पुलिस जाबो के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने तक घटनास्थल पर करीब 100-150 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ का आक्रोश बढ़ता देख



मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची।

पुलिस को दोनों पक्षों को अलग करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की करने की भी कोशिश

की, जिसे देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों पक्षों के कई लोगों को मौके से हिरासत में लेकर

थाने लाया गया। जली हुई मोटरसाइकिल भी जब्त कर थाने में रखवाई।

पुलिस की प्राथमिक जांच से

■ कुछ लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की करने की भी कोशिश की

पता चला कि विवाद के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। पूरे मामले की पुष्टि होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पक्ष से कैलाश शर्मा (30) और दूसरे पक्ष से लालाराम उर्फ लालचंद योगी (50), मदन योगी (25), राजेश योगी (28) और उमेश कुमार (34) को पकड़ा गया है। सभी आरोपी चंदलाई गांव के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी कर रही है।

बांग्लादेशियों को भारत से हटा दें तो देश और वोटर लिस्ट दोनों सुरक्षित : तोगड़िया

जोधपुर, (कासं)। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में तीन करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनको हटाने से मतदाता सूची अपने आप ठीक हो जाएगी। वहीं देश भी सुरक्षित हो जाएगा। तोगड़िया यहां जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए।

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चल रही है। यह प्रयास अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि बांग्लादेशियों को भारत से ही हटा दें तो देश भी सुरक्षित बनेगा और मतदाता सूची खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर तोगड़ियाने

- अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए
- डॉ. तोगड़िया ने राजस्थान में बनाए धर्मांतरण कानून सराहा और कहा कि उदयपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है

कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटना हम भूल नहीं पाए। सभी को इन जेहादी गतिविधियों को रोकने में लगाना चाहिए। जिहादी गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं। पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट इसका उदाहरण है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा

पर कहा कि रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने और प्रगाढ़ हैं। डॉ. तोगड़िया ने राजस्थान में बनाए धर्मांतरण कानून सराहा। बोले कि उदयपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसे रोकने को हम भी प्रयासत हैं। सरकार कानून बनाकर

भी इनको रोकें। किसी भी हाल में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। खासतौर से कानून बनने के बाद उसके प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना जरूरी है। तोगड़िया ने कहा कि हम हिंदुओं को जागृत करने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हनुमान चालीसा केंद्र गांव, गली व मोहल्ले तक चला रहे हैं। हर मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान चालीसा होता है। इसके अलावा हिंदुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित न हों। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ धर्म को भी मजबूत करेंगे तो हम विकसित होने की राह पर चलेंगे।

मोटर गैराज में आग लगाने वाला मास्टर माइंड गिरफ्तार

झुंझुनू, (निर्स)। पुलिस ने 29 नवंबर की रात को चूरू बाईपास पर गैराज फूंकने वाले बदमाश अनिल कुमावत उर्फ हांडिया को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल कुमावत उर्फ हांडिया को मोड़ा पहाड़ इलाके से गिरफ्तार किया है। वह महिलाओं के कपड़े पहनकर फरारी काट रहा था और मोड़ा पहाड़ के गड्ढों में छुपा हुआ था, जो अपनी पत्नी से मिलने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 29 नवंबर की रात को चूरू बाईपास स्थित मन्नत मोटर्स के गैराज में खड़ी 18 गाड़ियों को पेट्रोल डालकर आग लगाने का मास्टर माइंड अनिल कुमावत उर्फ हांडिया था, जिसने ही अपने अन्य साथियों के साथ पूरा का पूरा गैराज फूंक डाला। इस मामले में पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं दो नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया था। इस मामले के मास्टर माइंड अनिल कुमावत उर्फ हांडिया की तलाश में टीमों ने अनिल कुमावत के संभावित ठिकानों झुंझुनू शहर, बगड, चिडावा, पिलानी, सिंधाना, खेतड़ी, गुवा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, मुकुन्दगढ़, सीकर, जयपुर में दबिशें दी थी। इसी दौरान दो दिन पहले तीन दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि



बदमाश अनिल कुमावत उर्फ हांडिया।

अनिल कुमावत उर्फ हांडिया मोड़ा पहाड़ में महिलाओं के कपड़े पहने हुए गड्ढों में छुपा हुआ है, जो आधी रात को पुलिस से छुपकर अपनी पत्नी से मिलने घर

- महिलाओं के कपड़े पहनकर फरारी काट रहा था और मोड़ा पहाड़ के गड्ढों में छुपा हुआ था

जाएगा। पुलिस ने सूचना पर मोड़ा पहाड़ में तलाश शुरू की। इस दौरान एक गड्ढे में अनिल कुमावत महिलाओं के कपड़े में दिखाई दिया। जिसे घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगा और पहाड़ में ही बने दूसरे गड्ढे में जा गिरा। जिससे उसका पैर टूट गया। पुलिस ने पहले उसका इलाज करवाया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार शाम को मौका तस्दीक के लिए अनिल कुमावत को पैदल ही मन्नत मोटर्स ले जाया गया, जहां पर उसने मौका तस्दीक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस के जिंदाबाद के नारे लगाए और शहर कोतवाल श्रवण कुमार, जांच अधिकारी एसआई रामनिवास और अन्य पुलिसकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बदमाश अनिल कुमावत भी कान पकड़े हुए नजर आए। पूरे रास्ते वह कान पकड़े रहा और मुझसे गलती हो गई। आगे नहीं करूंगा। अपराध मत करो। बोलाता सुनाई दिया।

श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन वृद्धा से 25 लाख रुपए व की रिट याचिका निस्तारित 14 तोला सोना हड़पा

जोधपुर, (कासं)। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका का राजस्थान हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। आरसीए की ओर से बताया गया कि ओम्बुड्समैन (लोकपाल) की नियुक्ति होने के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की कोर्ट में श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरसीए (एडहॉक कमेट्री) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने पक्ष रखा। आरसीए की ओर से पेश सीनियर

एडवोकेट डॉ. आचार्य ने कोर्ट को बताया कि याचिका लंबित रहने के दौरान ही दो अक्टूबर के आदेश के तहत नए लोकपाल की नियुक्ति का जो चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि इस नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण हो गया है, इसलिए अब याचिका में सुनवाई के लिए कोई कांज ऑफ एक्शन (वाद का कारण) शेष नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील इस दलील का विरोध नहीं कर सके। कोर्ट ने रिकाई पर दर्ज किया कि याचिकाकर्ता पक्ष प्रतिवादियों की इस दलील को नकारने की स्थिति में नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने

अपने आदेश में कहा कि चूंकि नए लोकपाल की नियुक्ति के बाद अब इस रिट में किसी तरह का विवाद शेष नहीं रह गया है। इसलिए इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब कुछ भी निर्णय करने के लिए बाकी नहीं है, इसलिए रिट याचिका को इसी आधार पर निस्तारित किया जाता है। इस तरह श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेट्री की बीच लोकपाल से जुड़ा विवाद कोर्ट की तरफ से औपचारिक रूप से समाप्त मान लिया गया।

अलवर, (निर्स)। अलवर में बुजुर्ग महिला से उसके देवर के बेटे ने ही 25 लाख रुपए और करीब 14 तोला सोना हड़प लिया। महिला घर में अकेली रहती है। एक बेटा है, जो बाहर रहता है। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने रुपए-गहने हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

कोतवाली थाने के विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवारी शिवपुरा केडुलगंज की रहने वाली चंद्रकांता शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका देवर का लड़का चेतन शर्मा उसके पास रहता था। उसने झांस में लेकर बैंक ले जाकर

- पुलिस ने महिला के देवर के बेटे को गिरफ्तार किया
- महिला अकेली रहती है, एक बेटा बाहर रहता है

फर्जीवाड़ा कर उसके खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। इसके अलावा घर के अंदर से 14 लाख रुपए का सोना लेकर पार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसके बाद आरोपी चेतन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

फर्जीवाड़ा कर उसके खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। इसके अलावा घर के अंदर से 14 लाख रुपए का सोना लेकर पार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसके बाद आरोपी चेतन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथ्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतिযোগी परीक्षा-2024 के तहत विचारित सूची में सम्मिलित 5 विषयों के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, को इस संबंध में अवसर दिया गया है। इसके तहत इतिहास, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों को अंतिम तथा भौतिकी एवं अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को

सीएमएचओ ने टीबी क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया

बूंदी, (निर्स)। शुक्रवार को सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. सामर ने अपने नियमित रूप से जारी गहन निरीक्षण अभियान के तहत ब्लॉक के साथ जिला स्तर की प्रमुख स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा की। इसी क्रम में वे जिला टीबी क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी जांच व्यवस्था, निक्षय मित्र योजना, निक्षय पोषण कार्यक्रम तथा सिलिकोसिस रोगियों की प्रगति रिपोर्ट की जांच की।

डॉ. सामर ने प्रभारी चिकित्सक डॉ. कुलदीप मीणा से हैड-होल्डिंग एक्स-रे मशीन, डिजिटल एक्स-रे रिपोर्टिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, मशीन की संवेदनशीलता तथा रिकाई संधारण के बारे में विशेष रूप से जानकारी ली। उन्होंने रिपोर्टिंग को समयबद्ध, सटीक और मरीज-हितैषी बनाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर डॉ. सामर ने टीबी रोगियों को व्यक्तिगत रूप

से प्रोत्साहित करते हुए पोषण सामग्री का वितरण भी किया, ताकि उपचार अवधि में उन्हें बेहतर पोषण सहायता मिल सके। सीएमएचओ ने स्टाफ को निर्देश दिए कि टीबी व सिलिकोसिस रोगियों की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाए, डिजिटल रिपोर्टिंग को बेहतर क्वालिटी के साथ समय पर अपलोड किया जाए, हर मरीज तक सरकार का योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

अलवर से चोरी हुआ तेजाब से भरा टैंकर हरियाणा में पकड़ा

पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया

अलवर, (निर्स)। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जीवनधारा हॉस्पिटल के पास से तेजाब से भरा एक टैंकर चोरी हो गया। टैंकर में करीब छह लाख रुपए कीमत का तेजाब भरा हुआ था।

ट्रक ड्राइवर चंचल सिंह ने बताया कि वह कंपनी से तेजाब भरवाकर टैंकर को अपने घर के पास खड़ा कर गया था। उसे सुबह करीब चार बजे टैंकर को लेकर बहरौड़ के पास केसवाणा स्थित एक कंपनी में पहुंचना था, लेकिन जब वह सुबह टैंकर के पास पहुंचा तो पता लगा

- टैंकर में करीब छह लाख रुपए कीमत का तेजाब भरा हुआ था

कि वाहन चोरी हो चुका है। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुरुवार सुबह एनईबी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। टैंकर में जीपीएस लगा हुआ था, जिसकी लोकेशन हरियाणा के पुन्हाना क्षेत्र में मिली। इस आधार पर अलवर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की

मदद से वहां से टैंकर को बरामद कर लिया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। जब टैंकर मालिक ने टैंक की जांच की तो पता लगा कि उसमें सिर्फ आधा तेजाब बचा है, जबकि करीब तीन लाख रुपये कीमत का तेजाब गायब है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि तेजाब कहां और किसे बेचा गया था। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है और मामले की आगे जांच जारी है।

रामगंजमण्डी में युवक की संदिग्ध मौत

रामगंजमण्डी, (निर्स)। शहर में शुक्रवार को युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए मृतक नवनीत सोनी की लाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को फरियादी यशवंत सोनी पुत्र मनमोहन सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं व मेरा भाई नवनीत सोनी दोनों रामगंजमण्डी में रहते हैं। मेरा भाई नवनीत व उसका लड़का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमण्डी में निवास करते

हैं। मेरे भाई के परिवार में भाई की पत्नी कृष्णा सोनी दो लड़कियां नम्रता 5 साल, रिदिमा साढ़े तीन साल है। गुरुवार को मेरे छोटे भाई की पत्नी कृष्णा सोनी व बच्चियां व मेरी माताजी कोटा शायी में गये थे। घर पर मेरा भाई नवनीत ही था। मेरे पास कोटा से जीजाजी दिनेश सोनी का फोन आया व बताया कि आपके छोटा भाई नवनीत सोनी की मृत्यु हो गई है। मैं कनवास से वापस रामगंजमण्डी आया। मेरे भाई के घर पर गया तो जमीन पर मेरे भाई नवनीत को लेटाया हुआ था। मैंने मेरे भाई को देखा तो मेरे भाई के पूरे शरीर पर जगह-जगह चोटों के निशान थे। जिसमें हाथ, पैर, पीठ, सीना, कुल्हा व मुंह पर सूजन आ रही थी। मेरे भाई को मौत हो गई थी। मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि रात्रि को मेरे भाई नवनीत

व उसके मित्र अशोक योगी निवासी रामगंजमण्डी ने रात्रि शराब पी है। इनके साथ गौरव सोनी भी रात्रि में आया था। मुझे शंका है कि अशोक व गौरव ने मेरे भाई के साथ मारपीट कर चोटे पहुंचाई है। मेरे भाई के चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई है। थाना रामगंजमण्डी पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान राजकुमार उष निरीक्षक द्वारा प्रारम्भ किया गया। प्रकरण में दौरान अनुसंधान मृतक की नवनीत की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। लाश की वॉडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई। घटनास्थल का निरीक्षण एफ.एस.एल. टीम द्वारा किया गया। प्रकरण की घटना में संलिप्त तथा कथित आरोपी गौरव सोनी को पूछताछ के लिये तलब किया गया है।

सरिस्का अभयारण्य का सिलीबेरी गेट खोलने की मांग

बिना किसी पूर्व सूचना के गेट बंद कर दिया था



ग्रामीणों ने वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंप सिलीबेरी गेट खोलने की मांग की है।

अलवर, (निर्स)। मालाखेड़ा क्षेत्र के बालेटा, पृथ्वीपुरा, खारेड़ा और पूनखर सहित लगभग एक दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरिस्का अभयारण्य के सिलीबेरी गेट को तुरंत खोलने की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित श्री पांडुपोल हनुमानजी महाराज मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। दूर-दराज से आने वाले भक्त परंपरागत रूप से सिलीबेरी गेट से होकर ही मंदिर पहुंचते रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में बिना किसी पूर्व सूचना के सिलीबेरी गेट को बंद कर दिया गया है। इस निर्णय से स्थानीय लोगों के आवाजाही, व्यापार, रोजगार और

- गेट को बंद होने से स्थानीय लोगों के आवाजाही, व्यापार, रोजगार और धार्मिक गतिविधियां पर प्रभाव पड़ा है
- बालेटा, पृथ्वीपुरा, खारेड़ा और पूनखर सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा

धार्मिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि सिली बेरी गेट को पूर्व की भांति आमजन के लिए तुरंत खोला जाए। उन्होंने यह भी मांग की। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि वन मंत्री के हस्तक्षेप से हजारों स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान होगा।

हाईकोर्ट : आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी के ज्यादा अंक तो जनरल में चयन

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेरिट माइग्रेशन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस फरजद अली ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2018 से लंबित याचिका को सल करके हार डीमंड की कोर्ट में जमाना कि कोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट (जैसे आयु या योग्यता) का लाभ लिए सामान्य वर्ग के कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करता है, तो उसे सामान्य वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। कोर्ट ने जोधपुर निवासी याचिकाकर्ता कीर्ति चौधरी को साल 2